न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

गीताबाई **बनाम** दिनेश

किस्म मुकद्दमा धारा 225 **मि० नं०** 436/2011 **सन्**

अभिभाषक अपीलान्ट श्री के० एल० रावल **अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4-9-2020	पत्रावली पेश हुई । कोर्ट कैम्प स्थगित / COVID-19 कंडोलेन्स/हडताल होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-10-2020 को पेश हो । (महेन्द्र लोढ़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	
23-10-2020	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी अन्य (नगरनिगम चुनाव) राज्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06-11-2020 को पेश हो। शेखर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	6-11-2020
6-11-2020	पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक अपीलांट उपस्थित/ बहस हेतु समय चाहा/अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20-11-2020 को पेश हो/ (महेन्द्र लोढ़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	
20-11-2020	पत्रावली कैम्प झालावाड़ पेश हुई / अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील को Not Press किया गया /अतः अपील अपीलांट Not Press में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो/ (महेन्द्र लोढ़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	Not press

2-12-2011

न्यायालयः- राजस्व अपील अधिकारी कोटा केम्प झालावाड़

गीता बाई पत्नी भैरूलाल जाति चमार निवासी कोटड़ी तहसील पिड़ावा

---अपीलान्ट

बनाम

1. दिनेश वल्द राम प्रताप जाति ब्राहमण निवासी कोटड़ी तहसील पिड़ावा
2. रमेशचन्द पुत्र राम प्रताप जाति ब्राहमण निवासी कोटड़ी तहसील पिड़ावा
3. गणपत आत्मज मन्ना लाल जाति मेघवाल निवासी कोटड़ी तहसील पिड़ावा
4. प्रभुलाल
5. श्याम लाल
6. दुलीचन्द

पिसरान श्री बाला जाति मेघवाल निवासी कोटड़ी तहसील पिड़ावा

7. रामी बाई पुत्री बाला जाति मेघवाल निवासी कोटड़ी तहसील पिड़ावा हाल ढाबला खीची तहसील पिड़ावा
8. हीरा
9. पूरा
10. हरिराम

पिसरान कंवर लाल जाति मेघवाल निवासी कोटड़ी तहसील पिड़ावा

---रेस्पोडेन्ट

अपील व नाराजगी फैसला उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा दिनांक 24.8.2011 प्रकरण सं. 36/2008 गीता बाई बनाम दिनेश वगैरह धारा 212 रा. टी. ए. अन्तर्गत धारा 225 रा.भू. अधि.

मान्यवर

उपरोक्त उनवान का वाद माननीय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें धारा 212 का प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 24.8.2011 को कर दिया गया है और प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया है। ~~xxxxxx~~ अपील निम्न कारणों से पेश है -

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एवं पत्रावली संग्रह सार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।
2. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कतई ध्यान नहीं दिया है कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते कब्जे व काश्त की भूमि है अपीलान्ट अनुसूचित जाति के कमजोर वर्ग के लोग है। और रेस्पोडेन्ट 1 और 2 सवर्ण जाति के असरदार लोग है वे ताकत के बल पर अपीलान्ट को उनके कब्जे की आराजी से जबरन बेदखल करना चाहते है।

निरन्तर 2 पर